

**कार्यालय प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़  
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)**

--: विज्ञापन ::--

क्रमांक/235/स्था/सीधी भर्ती/2016

पामगढ़, दिनांक 28 /10 /2016

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ3-73/2016/38-1 नया रायपुर, दिनांक 06.08.2016 के परिपालन में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों को छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से सीधी भर्ती द्वारा भरने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रक्रिया अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा(छ.ग.) द्वारा दिनांक 18.11.2016 सायं 5:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. पदनाम तथा वेतनमान: -

(क) प्रयोगशाला परिचारक

- 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1800

नोट :- वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

2. रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :-

पदनाम	कुल पद	अनारक्षित					अ.जा.					अ.ज.जा.					अ.पि.व				
		कुल पद	मु.	म.	वि.	भूपू से	कुल पद	मु.	म.	वि.	भूपू से	कुल पद	मु.	म.	वि.	भूपू से	कुल पद	मु.	म.	वि.	भूपू से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
प्रयोगशाला परिचारक	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग:-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

नोट: - 1. उपरोक्त विज्ञापित में दर्शित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है ।  
2. रिक्त पदों में विवरण अनुसार आरक्षण का नियमानुसार पालन किया गया है ।  
3. मु. = मुक्त, म. = महिला, वि. = निःशक्तजन, भूपूसे = भूतपूर्व सैनिक

3. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यतायें :-

(क) प्रयोगशाला परिचारक -10 वीं परीक्षा संबंधित विषय से उत्तीर्ण ।  
(विज्ञान, गृह विज्ञान एवं भूगोल)

नोट:- उक्त पदों के लिए चयन की प्रक्रिया समिति द्वारा लिखित/कौशल परीक्षा के आधार पर की जावेगी।

4. आयु सीमा-

(क) दिनांक 01.01.2016 को उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष से अधिक न हो।  
(ख) छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला तथा अन्य अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट रहेगी:-

- (1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे समय पूर्व निवशक्ति रियायतों (आस्टरिंग आउटकेसेशन) के अधीन सेवामुक्त कर दिया गया हो,
- (2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दुबारा भरती किया गया हो तथा (क) अल्पकालीन नियोजन पूर्ण होने, (ख) भर्ती की शर्तें पूर्ण कर देने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल ईकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी ,
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो, (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं),
- (5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो,
- (6) ऐसे सैनिक जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों,
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त कर दिया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे एवं
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

नोट :- उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

#### 5. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तथा स्थानीय निवासी: -

- (1) विज्ञापित रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
- (2) इस विषयक सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

#### 6. अन्य शर्तें :-

1. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी का होगा।
2. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छत्तीसगढ़ राज्य के जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, से किये जाने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्राशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश लागू रहेंगे।
  - (क) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
  - (ख) कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी समय भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
7. नियुक्ति चयन विधि :-
  - (क) प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की सूची तैयार किया जाना।

- (ख) उपर्युक्त लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार/वर्गवार प्रावीण्य सूची तथा अलग से संयुक्त प्रावीण्य सूचियां तैयार की जावेगी तथा प्रतीक्षा सूचियां भी तैयार की जायेगी, परन्तु ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि नियुक्तकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जाये, इस बात से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।
- (ग) यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित (Carry Forward) नहीं किये जाएंगे, वरन् उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है।
- (घ) निःशक्त जन और भूतपूर्व सैनिक के पद के विरुद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी के आवेदक होगा उसे हॉरिजेण्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।
8. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं यात्रा व्यय संबंधी लाभ नहीं मिलेगा।
9. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – दिनांक 18.11.2016 सायं 5:30 बजे
10. परीक्षा की तिथि :- दिनांक .....
11. परीक्षा का समय :- ..... से ..... बजे तक
12. परीक्षा केन्द्र :- लिखित परीक्षा का केन्द्र –नवीन शासकीय महाविद्यालय पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा(छ.ग.) में रहेगा।
13. आवेदन पत्र :- आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक स्वयं सुनिश्चित कर ले कि वे नियुक्ति संबंधी समस्त अर्हतायें पूर्ण करते हैं या नहीं? (यदि किसी आवेदक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन सूची से नाम/नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।)
14. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी।
15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय नियुक्तकर्ता अधिकारी का होगा।
- इच्छुक उम्मीदवारों को दिये गये प्रारूप में आवेदन पत्र प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को केवल स्पीडपोस्ट /पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 18.11.2016 सायं 5:30 बजे तक प्राप्त होना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदक चाहे तो फुलस्कैप सफेद कागज पर निर्धारित प्रपत्र केवल एक तरफ डबल स्पेस में स्वच्छ टंकित कर उसका उपयोग कर सकते हैं, परन्तु हस्तलिखित आवेदन पत्र (वांछित प्रविष्टियों को छोड़कर) मान्य नहीं होगा।

(डॉ.आर.के.वर्मा)  
प्राचार्य

नवीन शा.महा.पामगढ़  
जिला-जांजगीर-चांपा(छ.ग.)



10. रोजगार कार्यालय का नाम .....
- जीवित पंजीयन क्र. एवं दिनांक .....
11. लिंग :- महिला या पुरुष जो लागू हो लिखें .....

नीचे 12 से 20 तक के लिए बाक्स में हों या नहीं, जो लागू हो लिखकर जानकारी दें तथा जहाँ-जहाँ उत्तर हों में हो, उसके पक्ष में प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित फोटो कापी संलग्न करें :-

12. क्या आप संबंधित जिले के स्थानीय निवासी हैं ?
13. क्या आप छ.ग. शासन के स्थायी/अस्थायी सेवक हैं?
14. क्या आप आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं?
15. क्या आप कार्यभारित कर्मचारी हैं?
16. क्या आपको शासन द्वारा हाथ में ली गई किसी परियोजना में नियोजित किया गया है?
17. क्या आप इस विज्ञापन में परिभाषित नियमों के अंतर्गत छंटनी किये गये शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं?
18. क्या आप इस विज्ञापन में परिभाषित नियमों के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक वर्ग में आते हैं?
19. क्या आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं?
20. क्या आप निःशक्तजन हैं?

### /// घोषणा पत्र ///

मैं ..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उक्त आवेदन पत्र का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात ही अपने को पात्र उम्मीदवार मानते हुए भरा है एवं मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी हुई जानकारी पूर्ण सही है। यदि कोई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो मेरी चयन परीक्षा/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जो मुझे मान्य होगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ की आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यताओं से सम्बद्ध पात्रता की सभी शर्तें पूरी करता/करती हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसका विवरण इस आवेदन पत्र में भरा गया है तथा नीचे किया गया हस्ताक्षर मेरा ही है। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया है।

दिनांक .....

स्थान .....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम .....

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे सत्यपित दस्तावेजों का विवरण :-

संलग्नों की सूची :-

1.....2.....

3.....4.....

5.....6.....

7.....8.....

आवेदक का हस्ताक्षर

.....

नाम .....

नोट :-

- (1) कोई भी कालम रिक्त न छोड़े, जहाँ जानकारी निरंक हो वहाँ निरंक लिखा जावे।
- (2) प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन स्वीकार्य किया जावेगा।
- (3) किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
- (4) विज्ञापित रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में शासकीय महाविद्यालय, ....., जिला-..... (छ.ग.) को दिनांक ..... सायं 5.30 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त होना आवश्यक होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

प्रवेश पत्र

अनुक्रमांक -

आवेदित पद का नाम - .....

स्व-प्रमाणित फोटो

1. अभ्यर्थी का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. माता का नाम .....
4. परीक्षा केन्द्र का नाम .....

आवेदक का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का पता :-

.....  
.....  
.....  
तहसील ..... जिला .....  
पिन कोड - .....

परीक्षा का दिन, दिनांक एवं समय

नोट :- अनुक्रमांक परीक्षा हेतु परीक्षा का केन्द्र, परीक्षा का दिन, दिनांक एवं समय को छोड़कर शेष सभी प्रविष्टियाँ अभ्यर्थी द्वारा भरी जावे।

प्राचार्य  
के हस्ताक्षर पद मुद्रा सहित